राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - न.नि. 50-95/2023 - 2688

पटना, दिनांक - 12.6.2025

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ZA एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 2(90) सहपठित धारा- 14 के प्रावधान के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एतद्द्वारा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 (यथासंशोधित) के नियम 85 के प्रावधान के आलोक में 6 नगरपालिकाओं यथा नगर पंचायत, मेहसी एवं पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण), नगर पंचायत, कोचस (रोहतास), नगर पंचायत, खुशरूपुर, नौबतपुर एवं विक्रम (पटना) के आम निर्वाचन, 2025 तथा नगरपालिका उप निर्वाचन, 2025 अन्तर्गत नगर परिषद, बाँका (बाँका), नगर परिषद, बक्सर (बक्सर), नगर परिषद, बोधगया, नगर पंचायत, खिजरसराय (गयाजी), नगर पंचायत, एकमा बाजार (सारण) तथा नगर पंचायत, मैरवा (सिवान) जिसमें सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना है।

उक्त नगरपालिकाओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, शारीरिक निःशक्तता, असाध्य रोग से ग्रसित, गर्भवती महिला एवं प्रवासी मजदूर जैसे मतदाता, जिन्हें मतदान केन्द्र पर आने में कठिनाई है, को प्राथमिकता के आधार पर ई-वोटिंग द्वारा मत देने के लिए व्यक्तियों के एक वर्ग को ई.वोटिंग द्वारा मतदान करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए अधिसूचित करता है।

ई.वोटिंग में भाग लेने वाले मतदाता द्वारा E-Voting app के माध्यम से निबंधन के लिए सहमति देने के उपरान्त ही ई.वोटिंग हेतु प्रक्रिया में भाग लेंगे। यह पूर्णतः **स्वैच्छिक (Voluntary)** विकल्प है।

उक्त निर्वाचन का कार्यक्रम दिनांक 24.05.2025 को अधिसूचित किये गये हैं।

आदेश से,

(मुकेश कुमार सिन्हा)
सचिव।

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax 0612 - 2507847 E-mail secbihar@gmailco

D:\pm5\NGR_Bye_E_23.pmd\122